राजस्व अपील संख्या : 13/2025
उनवान : सुरेन्द्र कुमार बनाम विजयसिंह मीना व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 13/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/61

अपीलाण्ट्स :–

सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबूलाल मीणा
निवासी मीणों का अरठ, सादडी
तहसील सादडी, जिला पाली राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. विजयसिंह मीना पुत्र मंछाराम मीना, निवासी सुथारो का बास, बादनवाडी, तहसील आहोर, जिला जालोर राज.
2. गिरधारीलाल पुत्र श्री कानाजी भील, निवासी बोहेडा की भागल, फरारा, तहसील राजसमंद, जिला राजसंमद राज.
3. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी, जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध आदेश दिनांक 18.02.2025 स्वतः स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3232 जो बेचाण रजि. नम्बर 202503193100649 के द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त करने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री वरुण गेहलोत।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 01, 02 की ओर से अधिवक्ता श्री पृथ्वीराजसिंह राणावत।

–:निर्णयः–

दिनांकः 17.10.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **विरुद्ध आदेश दिनांक 18.02.2025 स्वतः स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3232 जो बेचाण रजि. नम्बर 202503193100649 के द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त करने बाबत् पेश की गई।** अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा नारलाई, पटवार हल्का नारलाई, तहसील देसूरी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1072 रकबा 0.0900 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 1073 रकबा 0.1600 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 1074 रकबा 0.4200 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 1097 रकबा 0.4400 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 1098 रकबा 0.4300 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 1099 रकबा 0.2200 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 1100 रकबा 0.1100 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 13/2025
उनवान : सुरेन्द्र कुमार बनाम विजयसिंह मीना व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

नम्बर 1101 रकबा 0.0100 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सड़ा, खसरा नम्बर 1102 रकबा 0.0200 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सड़ा, खसरा नम्बर 1103 रकबा 0.2100 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 1104 रकबा 0.3100 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 1107 रकबा 0.4100 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम जाव दोयम कुल खसरान् 12 कुल रकबा 2.8300 हैक्टेयर की कृषि भूमि स्थित हैं।

यह है कि उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 1072, 1073, 1074, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104 व 1107 कुल खसरा 12 कुल रकबा 2.8300 हैक्टेयर को अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से जरिये विक्रय इकरारनामा कृषि भूमि दिनांक 02.12.2024 को खरीद की थी उक्त भूमि खरीद करने के पश्चात उक्त भूमि की रजिस्ट्री करवाने हेतु अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा हमेशा टालम टोल करता रहा हैं इस पर अपीलाण्ट उक्त विक्रय इकरारनामा कृषि भूमि दिनांक 02.12.2024 को सम्यक मुद्रांकित करने हेतु एक प्रार्थना पत्र न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक) वृत, पाली में दिनांक 13.02.2025 को पेश किया, उक्त प्रार्थना स्टाम्प प्रकरण संख्या 37/2025 पर दर्ज होकर दिनांक 17.02.2025 को पारित निर्णय के अनुसार दस्तावेज की कुल मालियत 16,98,000/– अक्षरे सौलह हजार अठाणवे हजार रुपये पर वसूली योग्य स्टाम्प मय सरचार्ज जमा कर दिनांक 18.02.2025 को वसूल किये गये। उक्त कृषि भूमि पर दिनांक 02.12.2024 से आज दिन तक वादी का ही कब्जा व काश्त बिना किसी रोक टोक के चला आ रहा हैं।

यह हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 02 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से मिलावट करते हुये अपील के पक्ष संख्या 02 में वर्णित अपीलाण्ट की खरीदशुदा कृषि भूमि को विवादित करने की नियत रखते हुये रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के पक्ष में रेस्पोडेण्ट संख्या 03 के कार्यालय में दिनांक 18.02.2025 को पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 315 में पृष्ठ संख्या 192, क्रम संख्या 202503193100649 पर बकायदा पंजीबद्ध करवाया। जबकि उपरोक्त कृषि भूमि का दिनांक 02.12.2024 को अपीलाण्ट के पक्ष में बेचाण करने एवं उक्त विक्रय इकरारनामा कृषि भूमि का अपीलाण्ट द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) वृत पाली में सम्यक मुद्रांकित दिनांक 18.02.2025 को अपीलाण्ट के पक्ष में पंजीयन हो गया एवं अपीलाण्ट उपरोक्त कृषि भूमि पर काबिज होते हुये भी रेस्पोडेण्ट संख्या 02 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के पक्ष में दस्तावेज पंजीयन करवाया हैं, जो फर्जी एवं नल एण्ड वॉइड हैं, जो निरस्त, अकृत व शून्य घोषित योग्य हैं एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित दस्तावेज पूर्ण रुप से अवैध एवं गलत हैं।

यह हैं कि तत्पश्चात उपरोक्त दस्तावेज निष्पादन किये जाने के बाद रेस्पोडेण्ट संख्या 01 का यह जानकारी हुई कि इस अपील में वर्णित कृषि भूमि को पूर्व में बेचाण अपीलाण्ट के पक्ष में हो चुका हैं, इस पर रेस्पोडेण्ट संख्या 02 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के साथ मिलावट करते हुए एवं अपीलाण्ट की भूमि को खुर्द–बुर्द करने की नियत रखते हुये रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 13/2025
उनवान : सुरेन्द्र कुमार बनाम विजयसिंह मीना व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

पक्ष में दस्तावेज क्रमांक 202503193100649 पंजीयन कर स्वतः नामान्तरकरण संख्या 3232 दिनांक 18.02.2025 को स्वीकृत कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट निम्न आधारों पर यह अपील प्रस्तुत कर रहा हैं।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अधीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन स्वतः स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3232 दिनांक 18.02.2025 जो बेचाण रजि. नम्बर 202503193100649 के द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को ज़रिए सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या एक एवं दो जरिए अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेण्ट संख्या तीन तहसीलदार देसूरी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने वक़्त सुनवाई यह मौखिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि चूंकि वर्तमान में नामान्तरकरण सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन संधारित की जाती है एवं इस हेतु पृथक से रिकॉर्ड संधारण नहीं होता है, बल्कि स्वतः नामान्तरकरण की ऑनलाईन व्यवस्था प्रभावी है। अतः जैर अपील आलौच्य नामान्तरकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड तलब करना अवांछित एवं विलम्बकारी होने से सीधे बहस सुनी जाए।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने इस बिन्दु पर कोई आपत्ति ज़ाहिर नहीं की। अतः प्रकरण में बहस सुनने का निश्चय किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने वक़्त बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ज़ैर अपील विवादग्रस्त कृषि आराजी के सम्बन्ध में पूर्व खातेदार रेस्पोडेण्ट संख्या दो द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में एक विक्रय इकरारनामा दिनांक 02.12.2024 को निष्पादित किया गया, जिसे अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.02.2025 को सम्यक रुप से मुद्रांकित भी करवाया गया है। दिनांक 02.12.2024 को विक्रय इकरारनामा निष्पादित होने के बाद से ही विवादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का ही कब्जाकाश्त है। यह भी, कि उक्त विक्रय इकरारनामें को सम्यक् मुद्रांकित किए जाने की जानकारी अपीलार्थी द्वारा पूर्व खातेदार रेस्पोडेण्ट संख्या दो को ज़रिए नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उक्त अप्रार्थी द्वारा दिनांक 18.02.2025 को प्रश्नगत कृषि आराजी का बेचान ज़रिए पंजीबद्ध विक्रय विलेख रेस्पोडेण्ट संख्या एक को कर दिया गया तथा उक्त बेचान का रेस्पोडेण्ट संख्या तीन द्वारा आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 3232 दिनांक 18.02.2025 स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया गया। काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने निवेदन किया कि विवादग्रस्त कृषि आराजी का पूर्व बेचाण अपीलाण्ट के पक्ष में होने के उपरान्त भी रेस्पोडेण्ट संख्या दो द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या एक को पंजीबद्ध बेचान तथा उक्त बेचान दिनांक 18.02.2025 के आधार पर स्वीकृत आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 3232 अवैध एवं प्रारम्भतः ही शून्य होने से निरस्त फरमावें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 13/2025
उनवान : सुरेन्द्र कुमार बनाम विजयसिंह मीना व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या एक व दो ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि

1. यह है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपील तथ्यहीन होने व विधि द्वारा परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।
2. यह है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपील बेचान इकरारनामें के आधार पर किसी भी नामान्तरकरण को चैंलेज नहीं किया जा सकता हैं। अपीलार्थी ने केवल मात्र परेशान करने की नियत से उपरोक्त अपील प्रस्तुत की हैं। जिससे अपीलार्थी की अपील परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।
3. यह है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपील बेचाण इकरारनामें के आधार पर प्रस्तुत की गई हैं वह अपील बिल्कुल भी परिपोषणीय नहीं है क्योंकि किसी पक्षकार के पास अगर जमीन जायदाद के सम्बन्ध में वैलिड टाइटल हो, वह भी अगर पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर हो, ऐसी स्थिति में ही वह पक्षकार अपने हक में नामान्तरकरण की मांग कर सकता है। एक बेचान इकरारनामा कभी भी किसी पक्षकार को स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार प्रदान नहीं करता। इस प्रकार उपरोक्त अपील में श्रीमान संतुष्ट होंगे की अपीलार्थी केवल मात्र बेचान इकरारनामें के आधार पर रेस्पोडेण्ट का विधिपूर्वक हुआ नामान्तरण निरस्त करवाने आये हैं जो केवल मात्र परेशान करने की नियत से उपरोक्त अपील प्रस्तुत की हैं, जिससे अपीलार्थी की अपील परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।
4. यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और कई माननीय उच्च न्यायालयों ने लगातार अपने प्रतिपादित सिद्धांतों में यह माना है कि राजस्व म्यूटेशन एंट्रीज किसी पक्षकार को स्वामित्व अधिकार प्रदान नहीं करता ना ही किसी पक्षकार से स्वामित्व अधिकार छिनता हैं। और बेचान इकरारनामें के आधार पर स्वामित्व सम्बन्धी विवाद केवल सिविल न्यायालय की डिक्री या वैध पंजीबद्ध विक्रय विलेख के द्वारा ही तय किया जा सकता है। और बेचान इकरारनामें के आधार पर किसी वैध नामांतरण के विरुद्ध म्यूटेशन अपील बिल्कुल भी परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।
5. यह है कि राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण केवल मात्र जमीन जायदाद के स्वामित्व में परिवर्तन को दर्शाता हैं वह भी केवल मात्र पंजीबद्ध विक्रय विलेख या कोई अन्य कानूनी तरीके के आधार पर ही राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण दर्ज होता हैं। परन्तु अपीलार्थी द्वारा केवल मात्र बेचान इकरारनामें के आधार पर उपरोक्त अपील प्रस्तुत की हैं जो बेचान इकरारनामा जमीन जायदाद के स्वामित्व में परिवर्तन का एक वैध दस्तावेज नहीं है। ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 सही तरीके से बताती है कि बेचान इकरारनामा किसी भी जमीन जायदाद में स्वतः ही कोई हित उत्पन्न नहीं

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

करता हैं। केवल पंजीबद्ध विक्रय विलेख ही स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार प्रदान करता हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय Civil Appeal No. 7109/2025 Vinod Infra Developers Ltd.. Vs Mahaveer Lunia &Ors. (2025) में प्रतिपादित सिद्धान्तों में यह माना है कि बेचान इकरारनामा पक्षकारों के मध्य केवल मात्र भविष्य में होने वाले सौदे का एक संविदात्मक वादा हैं और पक्षकारों के बीच का कोई भी स्वामित्व सम्बन्धी विवाद का न्यायनिर्णयन केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है ना कि राजस्व न्यायालय द्वारा। जिससे अपीलार्थी की अपील परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6. यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय Civil Appeal No. 1573/2023 Kaushik Prem Kumar Mishra &anr Vs kanji Ravaria &anr. में प्रतिपादित सिद्धांतों में यह माना है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा केवल मात्र बेचान इकरारनामें के आधार पर नामांन्तरण को चैलेंज नहीं किया जा सकता हैं म्यूटेशन अपील केवल मात्र किसी पक्षकार द्वारा पंजीबद्ध Conveyance के आधार पर ही परिपोषणीय है। जिससे अपीलार्थी की अपील परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

यह है कि जहां तक अपीलार्थी के बेचान इकरारनामें पर लागत स्टाम्प ड्युटी का सवाल हैं, एक पूर्ण स्टाम्प मय बेचान इकरारनामा केवल मात्र इकरारनामें के पालना के लिए सिविल कोर्ट में साक्ष्य में ग्राह्य हो सकता हैं तथा पूर्ण स्टाम्प मय बेचान इकरारनामा उस इकरारनामें की क्रेडिबिलिटी को दर्शाता है। इसका मतलब यह नहीं कि पूर्ण स्टाम्प मय बेचान इकरारनामा किसी पक्षकार को स्वामित्व अधिकार प्रदान करे। स्वामित्व अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय की डिक्री या वैध पंजीबद्ध विक्रय विलेख के द्वारा ही आदान प्रदान हो सकता हैं। और इस बाबत माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय Ramesh Chand (D) through LRs Vs Suresh Chand & ors (2025 INSC 1059) में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतों में कानून को स्पष्ट किया हैं। जिससे उपरोक्त बेचान इकरारनामें के आधार पर स्वामित्व सम्बन्धी विवाद का न्यायनिर्णय करने का अधिकार केवल सिविल कोर्ट को होने से उपरोक्त अपील परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील मय कॉस्ट खारिज फरमावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। ज़ैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 3232 दिनांक 18.02.2025 का ऑनलाईन पोर्टल पर अवलोकन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थी द्वारा आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 3232 को मुख्यतः इस आधार पर चुनौति दी गई है कि ग्राम नारलाई में स्थित जैर अपील विवादग्रस्त आराजी कुल खसरा 12 रकबा 2.8300 हैक्टेयर के सम्बन्ध में पूर्व खातेदार रेसपो संख्या दो द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में एक बेचान इकरारनामा दिनांक 02.12.2024 को निष्पादित करवाया गया था एवं उसके उपरान्त भी रेसपोडेण्ट संख्या दो द्वारा रेसपोडेण्ट संख्या एक को दिनांक 18.02.2025 को जरिए पंजीबद्ध विक्रय विलेख इसी कृषि आराजी को पुनः बेचान कर दिया गया तथा जरिए आलोच्य नामान्तारकरण संख्या 3232 के उक्त अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में राजस्व अभिलेख में इन्द्राज परिवर्तन किये गये।

इस सम्बन्ध में न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि अपंजीकृत बेचान इकरारनामें के आधार पर कृषि भूमि का हस्तान्तरण वैध हस्तान्तरण नहीं माना जा सकता। राजस्व विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर राजस्व अभिलेख में जरिए नामान्तारकरण किया गया रद्दोबदल ही वैध एवं अनुमत माना जाएगा। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपने तर्कों की पुष्टि हेतु प्रस्तुत अपंजीबद्ध बेचान इकरारनामा दिनांक 02.12.2024 की वैधता एवं ग्राह्यता पर कोई निष्कर्ष या निर्णय पारित करने का एकमात्र क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अपीलार्थी उक्त अपंजीबद्ध बेचान इकरारनामें के आधार पर राजस्व न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, भले ही अपीलार्थी द्वारा उक्त बेचान इकरार को वाद में सम्यक् रुप से मुद्रांकित करवाया गया हो।

माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा प्रकरण बउनवान "अमित व अन्य बनाम संतराज RRT 2018-19 (Supp.) 209 में यही न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि:–

".....इकरारनामा के आधार पर भूमि के हक व अधिकारो का हस्तान्तरण नहीं हो सकता है। इकरारनामें के आधार पर अनुतोष केवल सिविल न्यायालय ही प्रदान कर सकता है। राजस्व न्यायालय अनुतोष प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं....।" (पद संख्या 07)

माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय ने ऐसा ही मत प्रकरण बउनवान "साहबराम व अन्य बनाम कीकर सिंह व अन्य" 438 RRT 2018-19 (Supp.) व्यक्त करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि:–

"जहाँ तक इकरारनामें के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में इतना ही उल्लेख करना पर्याप्त है कि इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय किसी प्रकार का अनुतोष प्रदत्त करने में सक्षम नहीं होता है। ऐसे में सक्षम व्यवहार न्यायालय में इकरारनामा की विनिर्दिष्ट पालना का वाद पेश होना चाहिए।" (पद संख्या 13)

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में हस्तगत नामान्तारकरण अपील सारहीन पायी जाती है। अप्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तर्क स्वीकार योग्य एवं उनके

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

उनवान : सुरेन्द्र कुमार बनाम विजयसिंह मीना व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

राजस्व अपील संख्या : 13/2025

द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त विचाराधीन प्रकरण में पूर्णतः चस्पा पाए जाने से जैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 3232 दिनांक 18.02.2025 पटवार मण्डल नारलाई में किसी प्रकार का हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
P.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली